न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—188/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/188)

1. घनश्याम दत्तक पुत्र पांचूलाल
2. मंजू पुत्री पांचूलाल
   समस्त जाति कुम्हाल निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भगवान पुत्र नारायण जाति भांबी निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाघसुरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 राजस्व वाद संख्या 13/2020

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 03.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध अपीलांट्स उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में विरूद्ध अप्रार्थी अपीलांट एवं कैलाश पुत्र पेमा व गीता पुत्री पेमा जाति कुम्हार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.09.2020 को दर्ज कर अपीलांट एवं कैलाश व गीता को नोटिस जारी किए गए तत्पश्चात दिनांक 16.08.2021 को पुनः नोटिस पेश किए जाने के आदेश प्रदान किए गए तथा दिनांक 22.04.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित

धारा 151 जा0दी0 पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर कैलाश व गीता का नाम तर्क किए जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.05.2022 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष आज सूनवाई हेतु नियत है। उक्त प्रकरण में दावाकृत भूमि बाबत निम्न लिखित दस्तावेज राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये जा रहे है जो इस प्रकार है 1– वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 1 हाल खसरा नम्बर 745/47 रकबा 0.0328 गै.मु. रास्ता, 2– नक्शा ट्रेस रेस्पोडेन्ट एंव अपीलार्थी के खेतो का 3 प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खेत की जमाबंदी हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.95, 4 अपीलार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 47, 47/544. 744/47 की जमाबंदी, 5– हाल खसरा नम्बर 46 मंदिर की जमाबंदी एंव 6– हाल खसरा नम्बर 45 अपीलार्थीगण की जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस 7– रास्ते की राशि जमा कराने का चालान की रसीद प्रस्तुत किये जा रहे है। जो रेकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किस प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित कर दिया जिसकी पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दिनांक 21.9.2022 को प्रस्तुत कर दिया जिस पर दिनांक 10.7.2024 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने के पश्चात परीक्षण न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 24.5.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त आज अविलम्ब उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई उक्त देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करे। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)— CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र

को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अस्पष्ट, कारण रहित एवं नोन स्पीकिंग तथा एक पक्षीय रूप से अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किए जाने से न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र दर्ज किए जाने के पश्चात सम्पूर्ण आदेशिका में कहीं भी मौका रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश प्रदान नहीं किये हैं फिर भी आई. एल.आर. द्वारा मौका रिपोर्ट धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियम 69 (3) की पालना किए बिना मौका रिपोर्ट विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट के खातेदारी खसरा नम्बर 47/595 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान कर दिये जो कि त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कैलाश पुत्र पेमा व गीता पुत्री पेमा को अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार बनाया गया था जो कि खसरा नम्बर 45 के खातेदार थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44 में आने जाने के लिए कैलाश के खेत के उत्तर दिशा से लगती हुई अवस्थित भूमि की पश्चिमी दिशा में मंदिर डोली की भूमि एवं मुख्य रास्ता अवस्थित है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सदियों से आता जाता है व खसरा नम्बर 2857 में रेल्वे लाईन अवस्थित है उक्त अण्डर पास के पूर्व दिशा में 500 मीटर तक खातेदारी भूमि तत्पश्चात् एन.एच. 79 ग्राम जगपुरा की आबादी अवस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खसरा नम्बर 43 की पश्चिमी तत्पश्चात उत्तरी मेड पर से होते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 44 तक पहुंचता है एवं एक अन्य रास्ता लक्ष्मीनारायण गुर्जर के खेत की पूर्वी दिशा में आंशिक उत्तरी सीमा से होकर अत्यन्त शुक्ष्म रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत में आने जाने हेतु होते हुए भी उक्त तीनों वैकल्पिक रास्तों के बारे में आई.एल.आर. द्वारा अपनी एक पक्षीय मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का हवाला नहीं देकर अपीलांट की पीठ पीछे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अवांछित लाभ देने की गरज से जो मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गयी उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्त योग्य है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष कैलाश व गीता जो कि खसरा नम्बर 45 के खातेदार थे की भूमि से भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रास्ता चाहा गया जिसे आगे चलकर अपने प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कैलाश व गीता का नाम तर्क करवा लिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं था क्योंकि प्रार्थना पत्र में उठाये गए तथ्यों की स्थिति में परिवर्तन हो गया था, फिर भी परीक्षण न्यायालय ने ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में जाने हेतु तीन अलग–अलग वैकल्पिक रास्ते होने के बावजूद अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 47/595 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान कर त्रुटि की है जो कि काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 आरआरटी पेज 342, 2022 आरआरटी (2) पेज 1096, 2022 डी0एन0जे पार्ट 01 रेवे0 पेज 595, 2017 आरआरटी(1) पेज 422 एवं 2017 डि0एन0जे0 रेवेन्यु पेज 01, 2016 आरआरटी0 पेज 1281, 2021 डी0एन0जे0 पार्ट 01 रेवे0 पेज 112, 2016 आरआरटी (2) पेज 798, 2022 डी0एन0जे पार्ट 01 रेवे0 पेज 1368, 2021 आरआरटी (2) पेज 1264, 2018 आरबीजे पेज 508, 2020 आरबीजे पेज 277 प्रस्तुत किए हैं।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम जगपुरा के हाल खसरा नम्बर 44 रकबा 0.95 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नहीं है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी खसरा नम्बर 45 रकवा 0.24 व खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नहीं है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 45 रकबा 0.24 व खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

12. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.05.2022 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 44 रकबा 0.95है0 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 45 रकबा 0.24 व खसरा नम्बर 47/595 रकबा 0.23 में से आवागमन हेतु 30 फिट चौडे रास्ते बाबत अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए। दिनांक 22.04.2022 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम तर्क किए जाने के आदेश पारित किए गए।

पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 10.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 6 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील ही नहीं हुए थे। अप्रार्थी/अपीलांट घनश्याम का नोटिस जगदीश को तामील करा दिया व नोटिस पर भाई अंकित कर दिया, इसी प्रकार मंजू के नोटिस के पुस्त पर काका (जगदीश) अंकित कर नोटिस तामील करा दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जगदीश पुत्र श्री तेजमल, जाति कुम्हार निवासी ग्राम जगपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर का शपथ–पत्र उपलब्ध है, जिसमें जगदीश को अपीलांट्स संख्या 1 व 2 के कभी नोटिस तामील नहीं करवाए गए ना ही उक्त नोटिस की पुस्त पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस कभी अपीलांट/अप्रार्थीगण को तामील ही नहीं हुए थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 की विधिवत प्रक्रिया का पालन किए बिना ही प्रकरण में एकपक्षीय रूप से कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही से अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं मिला जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं।

आईएलआर द्वारा दिनांक 16.11.2021 को तैयार मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार को प्रेषित की गई, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण आदेशिका में कहीं पर भी मौका रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश ही पारित नहीं किए गए हैं। फिर किस आधार पर आईएलआर द्वारा मौका रिपोर्ट निर्मित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। आईएलआर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट किन पक्षकारों की उपस्थिति में या किन मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में बनाई गई। चूंकि मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है।

परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर बिना अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि संगत नहीं कहा जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 13/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की

आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए व प्रकरण में कितने फिट चौडा रास्ता दिया गया है उसका भी अंकन करते हुए, पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर